।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर ।।

क्रमांक :-ए 21 (16) पुनर्गठन/जन/3 बटालियन/2024/264-66 दिनांक :-08/02/2024

अतिरिक्त मुख्य सचिव
गृह विभाग, राज. जयपुर।

विषय :- बजट लेखानुदान में आरएसी की तीन नवीन बटालियन के गठन के प्रस्ताव को सम्मिलित करवाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बजट लेखानुदान के रुप में माह फरवरी 2024 में प्रस्तुत किये जाने वाले संकल्प-पत्र की क्रियान्विति हेतु महानिरीक्षक पुलिस आरएसी राज. जयपुर ने राजस्थान सशस्त्र बल आरएसी के अन्तर्गत 03 महिला बटालियन (पद्मिनी, काली बाई एवं अमृता देवी) के गठन हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित किये है :-

क्र.सं.	मांग/प्रस्ताव	प्रस्तावित मुख्यालय
1.	पद्मिनी महिला बटालियन आरएसी	सीकर
2.	काली बाई महिला बटालियन आरएसी	अलवर
3.	अमृता देवी महिला बटालियन आरएसी	बाड़मेर

बटालियन गठने का औचित्य

वर्तमान में आरएसी/एमबीसी की कुल 18 बटालियन है, जिनमें से आठवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं बटालियन आरएसी (आई.आर.) वीआईपी ड्युटी हेतु दिल्ली में स्थित है तथा राज्य में कानून-व्यवस्था ड्युटी हेतु उपयोग में नहीं ली जा रही है। इसी प्रकार तेरहवीं बटालियन आरएसी जेल सुरक्षा में तथा चौदहवीं बटालियन आरएसी खनन विभाग, परिवहन, वाणिज्य, आबकारी विभाग एवं रिजर्व बैंक इत्यादि स्थानों ड्यूटी में नियोजित होने से इनको भी कानून-व्यवस्था ड्यूटीयों में उपयोग नहीं लिया जा रहा है। इस प्रकार प्रभावी रूप से राज्य में कानून-व्यवस्था ड्युटी हेतु 13 बटालियन ही उपलब्ध है। वर्तमान परिदृश्य में नवसृजित जिलों को जोड़ने के उपरान्त जिलों की संख्या 33 से बढ़कर 50 हो गयी है।

इसलिये नये जिलों में तैनात किये जाने हेतु 21 अतिरिक्त कम्पनियों की आवश्यकता है, जिसके लिये 03 नई बटालियन सृजित किया जाना आवश्यक है। जिससे कि नवगठित जिलों में भी आरएसी की कम्पनियाँ नियोजित की जा सके एवं कम्पनियों का प्रशिक्षण कार्य भी सुचारू रूप से जारी रह सके।

नोटः- उक्त बटालियन का गठन रेगुलर बटालियन की तर्ज पर किया जाना प्रस्तावित है। आरएसी की प्रथम से छठी बटालियन तक रेगुलर बटालियन है। सातवीं व नवीं बटालियन आई.आर. बटालियन की तर्ज पर गठित है। आठवीं, दसवीं ग्यारहवीं, बारहवी, हाडीरानी व महाराणा प्रताप आई.आर. बटालियन है। तेरहवीं बटालियन जेल सुरक्षा में तैनात है तथा चौदहवीं बटालियन खनन विभाग/आबकारी विभाग इत्यादि स्थानों पर तैनात है। इसलिये उक्त नवीन बटालियन का प्रस्ताव छठी बटालियन (रेगुलर बटालियन) की तर्ज पर तैयार किया गया है।

नवीन पदों की (रैंकवार) आवश्यकता

शासन सचिव, गृह (पुलिस) गृह(ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प-2(34)गृह-1/08 जयपुर 17.05.2010 के द्वारा हाडीरानी महिला बटालियन (आई.आर.) अजमेर को पदों में महिला/पुरुष कर्मियों का अनुपात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, महिला बटालियन के अनुरुप निर्धारित अनुपात में करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

[illegible]

(A) एक्ज्यूकेटिव स्टाफ:—

क्र.सं.	पदनाम	01 रेगुलर बटालियन की प्रस्तावित नफरी	महिला बटालियन हेतु महिला/पुरूष अनुपात	
			पुरूष	महिला
1.	कमाण्डेन्ट	01	Open 01	
2.	डिप्टी कमाण्डेन्ट	01	0	(100%) 01
3.	सहायक कमाण्डेन्ट	03	(33.33%) 01	(66.67%) 02
4.	कम्पनी कमाण्डर	07	(14.29%) 01	(85.71%) 06
5.	प्लाटून कमाण्डर (एमटी)	01	(100%) 01	0
6.	प्लाटून कमाण्डर (सामान्य)	27	(40.74%) 11	(59.26%) 16
7.	हैडकानि. (एमटी)	07	(71.43%) 05	(28.57%) 02
8.	हैडकानि. (आरमोरर)	01	(100%) 01	0
9.	हैडकानि. (बैण्ड)	02	0	(100%) 02
10.	हैडकानि. (सामान्य)	200	(50%) 100	(50%) 100
11.	कानि. (सामान्य)	730	(50%) 365	(50%) 365
12.	कानि. (चालक)	43	(74.42%) 32	(25.58%) 11
13.	कानि. (बैण्ड)	20	0	(100%) 20
14	कानि0 (आरमोरर)	02	50% 1	50% 1
	योग	1045		

(B) मेडीकल स्टाफ:—

क्र.सं.	पदनाम	मेडीकल हेतु प्रस्तावित नफरी	पुरूष महिला/अनुपात	
			पुरूष	महिला
1.	चिकित्साधिकारी	1	0	(100%) 01
2.	नर्सिंग स्टाफ	2	0	(100%) 02
3.	वार्ड बॉय	1	0	(100%) 1
	योग	4	0	

(C) मंत्रालयिक कर्मचारी :—

क्र.सं.	पदनाम	मंत्रालयिक कार्मचारी हेतु प्रस्तावित नफरी	पुरूष महिला/अनुपात	
			पुरूष	महिला
1.	सहायक लेखाधिकारी	01	0	(100%) 01
2.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	01	0	(100%) 01
3.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	02	(50%) 01	(50%) 01
4.	वरिष्ठ सहायक	02	(50%) 01	(50%) 01
5.	कनिष्ठ सहायक	06	(50%) 03	(50%) 03
	योग	12		

(D) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :-

क्र.स.	पदनाम	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु प्रस्तावित नफरी	पुरुष महिला / अनुपात	
			पुरुष	महिला
1.	दफ्तरी	01	0	(100%) 01
2.	चपरासी	02	(50%) 01	(50%) 01
3.	कुक	24	(20%) 05	(80%) 19
4.	जलवाहक	13	(50%) 06	(50%) 07
5.	धोबी	09	(20%) 02	(80%) 07
6.	स्वीपर	16	(20%) 03	(80%) 13
7.	नारवर	04	(20%) 01	(80%) 03
8.	दर्जी	01	0	(100%) 01
	योग	70		
	महायोग	1131		

एक बटालियन के नवीन पदों पर होने वाला आवर्तक व्यय का वित्तीय भार, सामान्य वित्तीय लेखा नियम के 126 में वर्णित औसत को आधार मानते हुऐ (पे-मैट्रिक्स अनुसूची-1 के भाग "अ" के लेवल में वेतन का न्यूनतम अधिकतम ÷2) उसमें स्वीकृत भत्तों को जोड़कर कुल वित्तीय भार की गणना की गई है। उपरोक्तानुसार आवश्यक नवीन पदों पर होने वाले व्यय को परिशिष्ट "A" में दर्शाया गया है, जिसका बजट मद 2055-00-104-01-00 होगा।

संसाधनों भूमि-भवन इत्यादि की आवश्यकता

एक बटालियन हेतु आवश्यक वाहनों की संख्या व सम्भावित व्यय परिशिष्ट 'B' में, हथियार एवं एम्यूनेशन के परिशिष्ट "C", "C-I" एवं "C-2" में, कार्यालय व्यय को परिशिष्ट "D", "D-I" व "D-2" में, उपकरण पर होने वाले व्यय को परिशिष्ट "E" व "E-1" में तथा बटालियन हेतु भूमि, प्रशासनिक भवन, आवासीय भवन आदि पर होने वाले व्यय का विवरण परिशिष्ट "F" में दर्शाया गया है। एक नवीन बटालियन पर होने वाले आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय का इकजाई विवरण परिशिष्ट "G" में तैयार किया गया है। उक्त व्यय का बजट मद 2055-00-104-01-00 होगा।

आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय

उक्त तीनों महिला बटालियनों के लिये कुल व्यय आवर्तक व्यय 1159754016X3= 3479262048 रुपये एवं अनावर्तक व्यय 1168338721.9X3=3505016165.7 रुपये के साथ कुल 6984278213.7 (छः अरब अठानवे करोड़ बयालीस लाख अठहत्तर हजार दो सौ तेरह रुपये एवं सत्तर पैसे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता है।

अतः उपरोक्तानुसार तीन महिला बटालियनों के पदो व संसाधनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कराने का श्रम करावें।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(डॉ. प्रशाखा माथुर)
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस
(पुनर्गठन) राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आयोजना एवं आधुनिकीकरण राज. जयपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस आरएसी राज. जयपुर।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस